07/05/25 आज यह पत्रावली पेश हुई। कोई भी उप० नहीं। वादी व वादी वकील को बार-2 आवाज लगवाई गई बावजूद सूचना के कोई भी

**उपखण्ड अधिकारी**
**बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)**

उप० नहीं। पत्रावली वक्त अमल से तकमील
में नियत है। अतः पत्रावली अदमहाजरी व
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
मिसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड़)